माननीय सुशील कुमार मोदी जी, Need for declaration of assets and liabilities by the Judges of the Supreme Court and the High Courts.

Demand for declaration of assets and liabilities by the Judges of Supreme Court and High Courts

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार): माननीय उपसभापति जी, ऑल इंडिया सर्विसेज़ यथा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और सैंट्रल सिविल सर्विसेज़ यानी अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी एवं डायरेक्टर को ज्वाइनिंग के समय और फिर प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति का अनिवार्य रूप से ब्यौरा देना पड़ता है। सीएजी भी वेबसाइट पर अपने एसेस्ट्स का प्रति वर्ष डेक्लेरेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मतदाताओं को एमपी, एमएलए का चुनाव लड़ने वाले लोगों की संपत्ति के बारे में जानने का अधिकार है। जब कोई एमपी, एमएलए चुनाव के लिए खड़ा होता है, तो उसे अपनी संपत्ति का एफिडेविट फाइल करना पड़ता है। एमपी बनने के बाद 90 दिनों के भीतर और फिर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक सभी एमपीज़ को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। महोदय, यहाँ तक कि सैंट्रल कैबिनेट यानी प्रधान मंत्री तक के साथ-साथ सभी मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

उपसभापति महोदय, मंत्री, एमपी और आईएएस के समान जजेज के लिए भी ऐसेट डेक्लेरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार वर्तमान कानून में संशोधन करे या नया कानून बनाए या कोलीज़ियम मैकेनिज्म विकसित करे। महोदय, anybody holding public office and drawing salary from Exchequer should compulsorily declare annual details of their properties irrespective of the position that person holds. जिस प्रकार से वोटर को एमएलए, एमपी की संपत्ति जानने का अधिकार है, उसी प्रकार से litigant has a right to know the assets of Judges. This will repose the confidence and trust of the litigating public in the judicial system. If the Minister who decides about awarding a tender has to disclose his assets, why not the judge who decides if the Minister's decision is right or wrong? Both are public authorities discharging public function. उपसभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने 7 मई, 1997 को यह निर्णय लिया था कि सभी जजेज अपनी प्रॉपर्टी का मेंडेटरी डेक्लेरेशन करेंगे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने उसे वॉलंटरी कर दिया। महोदय, मैं आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गया था, मैंने देखा कि 2018 के बाद से इसे अपडेट नहीं किया गया है, क्योंकि यह वॉलंटरी है और इसमें केवल 55 जजेज की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। महोदय, केवल पाँच हाई कोर्ट्स की वेबसाइट पर यह सूचना उपलब्ध है और वह भी केवल कुछ ही जजेज की उपलब्ध है। ..(**समय की घंटी**).. इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसका संज्ञान ले।

MR DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Shri Sushil Kumar Modi: Shri

Sandosh Kumar P. (Kerala), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimat S. Phangnon Konyak (Nagaland), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Vijay Pal Singh Tomar(Uttar Pradesh), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Dr. Ashok Bajpai (Uttar Pradesh), Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh), Dr. Sonal Mansingh (Nominated), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Kailash Soni (Madhya Pradesh), Shri Ajay Pratap Singh (Madhya Pradesh), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Dr. Laxmikant Bajpayee (Uttar Pradesh), Shri Harnath Singh Yadav (Uttar Pradesh), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra) and Shri Surendra Singh Nagar (Uttar Pradesh).

माननीय सुशील कुमार मोदी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, kindly send your names here; you know the process. Now, Dr. Ashok Kumar Mittal - Concern over rising cases of human trafficking.

Rising cases of Human Trafficking

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब) : माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे जीरो ऑवर में अपनी बात रखने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं इस सदन के समक्ष एक बहुत ही संवेदनशील और चिंताजनक मुद्दा उठाना चाहूंगा। यह मुद्दा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। यह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसमें सिर्फ इंटर स्टेट ही नहीं, बल्कि क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग भी शामिल है। यह नेशनल सिक्युरिटी का इश्यू भी बन जाता है, क्योंकि इससे जो ब्लैक मनी जनरेट होती है, वही आगे जाकर आतंकवाद, ड्रग ट्रेड, आर्म्स ट्रेड और ऐसे अन्य गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल की जाती है। हमारे संविधान में केवल दो मुद्दों को डायरेक्टली पनिशेबल बनाया गया है - ट्रैफिकिंग और अनटचेबिलिटी। इसे आर्टिकल 23 के माध्यम से फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत रखा गया है। यदि हम नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड पर जाएँ, तो 2022 में जो केसेज़ रिकॉर्डेड हुए, वे 2,112 थे, लेकिन यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यदि हम गहराई में जाएँ, तो शायद ऐसे केसेज़ लाखों में आएँगे। मैं इस सदन में पंजाब से आता हूँ, जहाँ क्रॉस-बॉर्डर ट्रैफिकिंग के केसेज़ भी सामने आते रहते हैं, जहाँ महिलाओं को नौकरी के नाम पर अच्छी तनख्वाह देने के लालच में दुबई, ओमान वगैरह ले जाया जाता है और वहाँ ले जाकर उनसे हैरासमेंट शुरू होती है। उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं,